फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 42/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/46) **श्री उदयलाल मेघवाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यथी **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, बप्रकरण संख्या 164/2021 निर्णय दिनांक 16.02.2022 (बउनवानी उदयलाल मेघवाल बनाम तहसीलदार, निम्बाहेडा)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 16.01.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, बप्रकरण संख्या 164/2021 निर्णय दिनांक 16.02.2022 (बउनवानी उदयलाल मेघवाल बनाम तहसीलदार, निम्बाहेडा) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● अपीलार्थी श्री उदयलाल मेघवाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को पेश कर निवेदन किया कि उसके खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा भट्टकोटडी पटवारी हल्का बडोली माधोसिंह की खाता संख्या 236 आराजी संख्या 908/782 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि उसके नाम आवंटित की गई थी जिसका नामान्तरकरण उसके नाम स्वीकृत किया गया, तत्समय किसी प्रकार का कोई नक्शा ट्रेस चस्पा नहीं किया गया। जो नामान्तरकरण आवंटन के समय खोला गया उसमें उक्त आराजी 782 रकबा 0.2300 हैक्टेयर सम्पूर्ण में से दक्षिण दिशा की ओर वाला भाग आवंटन होकर मौके पर कब्जा भी दक्षिण भाग वाला है, इसलिए राजस्व नक्शा ट्रेस में जो सहवन से त्रुटि हो गई है उसके वास्तविक मौका स्थिति अनुसार सही दक्षिण दिशा की ओर अंकित किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा मौके पर दक्षिणी दिशा की ओर कब्जा स्थिति अनुसार ही सही एवं वास्तविक रेकर्ड में दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया। ● उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा निर्णय दिनांक 16.02.2022 से प्रार्थना पत्र धारा-131, 136 एलआर एक्ट साबित नहीं होने खारिज किया। उक्त निर्णय दिनांक 16.02.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय समक्ष अपील दिनांक 25.05.2022 को प्रस्तुत की। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 27.05.2022 दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 13.01.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि अपीलार्थी के खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा भट्टकोटडी पटवारी हल्का बडोली माधोसिंह की खाता संख्या 236 आराजी संख्या 908/782 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि उसके नाम आवंटित की गई थी जिसका नामान्तरकरण उसके नाम स्वीकृत किया गया, तत्समय किसी प्रकार का कोई नक्शा ट्रेस चस्पा नहीं किया गया। जो नामान्तरकरण आवंटन के समय खोला गया उसमें उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 42/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/46) **श्री उदयलाल मेघवाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी 782 रकबा 0.2300 हैक्टेयर सम्पूर्ण में से दक्षिण दिशा की ओर वाला भाग आवंटन होकर मौके पर कब्जा भी दक्षिण भाग वाला है, इसलिए राजस्व नक्शा ट्रेस में जो सहवन से त्रुटि हो गई है उसके वास्तविक मौका स्थिति अनुसार सही दक्षिण दिशा की ओर अंकित किया जाना न्यायोचित है, इसलिए अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा मौके पर दक्षिणी दिशा की ओर कब्जा स्थिति अनुसार ही सही एवं वास्तविक रेकर्ड में दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरित जाकर बिना किसी आधार के आवेदन अन्तर्गत धारा-131, 136 एलआर एक्ट के निरस्त कर दिया जो अविधिक है। अपीलार्थी को उक्त भूमि आवंटित हुई, उसके नाम भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, परन्तु नक्शें में सही तरमीम नहीं की गई, जो प्रावधानोनुसार दुरस्ती योग्य है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अधिवक्ता अपीलार्थी को ससमय प्रदान नहीं की गई, जिससे अपीलार्थी को निर्णय की जानकारी ससमय नहीं हो पाई। जानकारी होते ही हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के प्रस्तुत की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रकबा कमी होने से प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थना पत्र खारिज किया जो पूर्ण विधिक होने से यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2022 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। अपीलाण्ट के दफा 5 जाप्ता मियाद के आवेदन, अखण्डित शपथ-पत्र एवं न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा तहसीलदार, निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके अनुसार तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा वांछित इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही को उचित माना। उक्त रिपोर्ट में पटवारी द्वारा अंकित किया गया कि-

"वर्तमान आ.न. 908/782 रकबा 0.13 हैक्टे. मूल साबिक आराजी सं. 539 रकबा 0.18 बीस्वा में से श्री उदयलाल पिता देवा मेघवाल को दिनांक 21.1.2013 को आवंटन होकर ना.स. 16 स्वीकृत 8.6.2013 से नवीन आराजी संख्या 782 रकबा 0.23 हैक्टेयर में से 908/782 रकबा 0.13 हैक्टे.श्री उदयलाल पिता देवा मेघवाला सा. भट्टकोटडी गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड हुई का नामान्तकरण पर नक्शा ट्रेस संलग्न होकर इसमें दिशा अंकित नहीं है। उसके बाद ना.स.176 स्वीकृत दिनांक 06.07.2017 से खातेदारी के रूप में दर्ज हुई थी, उक्त आराजी को वर्तमान राजस्व नक्शे में उत्तरी दिशा में तरमीम की गई हैं जबकि कन्हैयालाल पिता धनराज धाकड़ पड़ोसी खातेदार के द्वारा उक्त आवंटन नम्बर 908/782 रकबा 0.13 हैक्टे.दक्षिण दिशा में बताया गया है एवं स्वयं श्री उदयलाल पिता देवा मेघवाला निवासी भट्टकोटडी के द्वारा शपथ पत्र संलग्न कर अपना कब्जा दक्षिण दिशा की ओर बताया गया है जो कि मौके पर भी इसी प्रकार काबिज है, इसलिये मौके पर काबिज अनुसार वर्तमान राजस्व मौके नक्शे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 42/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/46) **श्री उदयलाल मेघवाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में शुद्वि किया जाना प्रस्तावित सही पाया जाता है.....इस प्रकार बिलानाम आराजी के रकबे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाकर बराबर रखा गया है एवं संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रस्तावित शुद्वि संशोधन अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।''

उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा वांछित दुरस्ती की अनुशंषा की गई। उक्त जांच रिपोर्ट के विपरित उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा रेकर्ड के अभाव में एवं मिलान नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-131, 136 एलआर एक्ट निरस्त कर दिया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय में विरोधाभास की स्थिति प्रकट होती है। यह विरोधाभास की स्थिति अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी उपस्थिति थी, जिसके बारे में विस्तृत जांच अपेक्षित थी, जो नहीं की गई। इस प्रकरण में निर्विवादित तथ्य यह भी है कि अपीलार्थी को उक्त आराजीयात का आवंटन किया गया और खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर उसका राजस्व रेकर्ड में अंकन है। प्रावधानोंनुसार अपीलार्थी को वक्त आंवटन राजस्व विभाग द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया और उक्त आवंटन के आधार पर राजस्व अभिलेखों मय नक्शा में इन्द्राज किया जाना राजस्व विभाग का दायित्व था जो प्रथमदृष्टया पूर्ण किया जाना प्रकट नहीं होता है। राजस्व अभिलेखों का संधारण राजस्व विभाग के संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाना प्रावधित है, ऐसे में राजस्व अभिलेखों में पाई गई त्रुटियों की दुरस्ती हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इन अभिलेखों की जांच कार्यालय स्तर से भी अपेक्षित होती है, जो इस प्रकरण में की जाना प्रकट नहीं होती है। उपरोक्त स्थिति से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने पूर्व अपेक्षित जांच की कार्यवाही नहीं की गई, इसलिये यह न्यायालय उचित समझता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर अपेक्षित जांच कर, पक्षकारान मय प्रभावित पक्षकार को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2022 अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर अपेक्षित जांच कर, पक्षकारान मय प्रभावित पक्षकार को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर